प्रबन्धकारिणी समिति (सत्र 2022–23)

अध्यक्ष

श्री ब्रिजेश कुमार शर्मा

उपाध्यक्ष

श्री गजेन्द्र शर्मा

सचिव

श्री नरेन्द्र शर्मा

सह–सचिव

श्री संजय शर्मा

सदस्य

श्री जय कुमार शर्मा
श्री कमल शर्मा
श्री उमाशंकर शर्मा
श्री दीपक शर्मा
श्री दिनेश कुमार शर्मा
श्री मुकेश कुमार शर्मा
श्री सुखपाल शर्मा

पदेन सदस्य

प्रोफेसर सुनील कुमार तोमर
प्राचार्य

शिक्षक प्रतिनिधि

डॉ० प्रमोद कुमार
श्री हरिओम कुमार कौशिक

शिक्षणेत्तर प्रतिनिधि

श्री सूर्यदत्त शर्मा

महामना मालवीय महाविद्यालय

खेकड़ा (बागपत)

संस्था परिचय :

महान शिक्षाविद्, समाजसेवी, श्रद्धामूर्ति स्व0 स्वामी डालचन्द शर्मा ने महामना पं0 मदन मोहन मालवीय एवं स्व0 लै0 कमाण्डर श्री सुखदेव पाण्डेय (भूतपूर्व मंत्री) बिरला एजूकेशन ट्रस्ट पिलानी के उच्च आदर्शों से प्रेरित होकर खेकड़ा क्षेत्र से अशिक्षा उन्मूलन का संकल्प लेते हुए 5 मई 1936 ई0 में शिक्षा प्रसारक मण्डल खेकड़ा की स्थापना की। ग्रामीण अंचल की युवा पीढ़ी को उच्च शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध कराने का लक्ष्य समक्ष रखते हुए उन्होंने जन सहयोग, अदम्य उत्साह, अथक परिश्रम, लगन तथा अनवरत् प्रयास से खेकड़ा नगर में एंग्लो संस्कृत जूनियर हाईस्कूल की स्थापना से प्रारम्भ कर शनैः-शनैः शिक्षा जगत में एक नई पहचान प्राप्त की। अनेकानेक गांवों, नगरों एवं उपनगरों में अनेक शिक्षण संस्थाओं का प्रसार किया। सन् 1936 में लगाया गया पौधा 1959 में वृक्ष बन गया तथा महामना मालवीय डिग्री कॉलेज, खेकड़ा (बागपत) के रूप में स्थापित हुआ।

इस संस्था में कला एवं विज्ञान संकाय के 11 (8+3) विषय में स्नातक उपाधि एवं अंग्रेजी, रसायन विज्ञान एवं शारीरिक शिक्षा विषयों में पी0एच0डी0 स्तर के अध्ययन की सुविधायें उपलब्ध हैं। सरकार द्वारा NEP लागू करने के बाद स्नातक कक्षाओं में पर्याप्त संख्या में विषय संयोग एवं विषय विकल्प उपलब्ध हैं। महाविद्यालय में पाठ्येत्तर गतिविधियों एवं प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। महाविद्यालय में इसी वर्ष से कैरियर गाइडेन्स सेल की स्थापना की गयी है, जो समय-समय पर छात्र-छात्राओं को रोजगार तथा भविष्य निर्माण के लिए उचित मार्गदर्शन कराता है। सुयोग्य, समर्पित एवं कर्मठ शिक्षकों की सेवाएँ संस्था का गौरव रही हैं। संस्था में सर्वांगीण विकास की शिक्षा हेतु विशेष ध्यान दिया जाता है तथा महाविद्यालय केवल उपाधि दिलाने का माध्यम न रहकर आदर्श भावी नागरिकों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक अग्रसर होने को तैयार रहने की कार्यशाला बनने का संकल्प लेकर कार्य करता है। संस्था में सह-शिक्षा का उत्तम प्रबन्ध है।

संस्था नगरीय प्रदूषण और कोलाहल से मूक्त प्राकृतिक एवं शांत वातावरण में स्थित है। यह दिल्ली-शाहदरा से मात्र 23 किलोमीटर दूर दिल्ली-सहारनपुर (वाया शामली) रेलमार्ग पर खेकड़ा रेलवे स्टेशन के सामने स्थित होने के कारण आवागमन की उत्तम व्यवस्था है।

महाविद्यालय में समुचित आकार के व्याख्यान कक्ष, विशाल पुस्तकालय व वाचनालय भवन, सेमीनार हॉल, प्रशासनिक ब्लॉक, गर्ल्स कॉमन रूम तथा अलग-अलग सुसज्जित शौचालय उपलब्ध हैं। उपकरणों से युक्त प्रायोगिक विषयों की प्रयोगशालाएँ उपलब्ध हैं।

हमने पिछले वर्ष से महाविद्यालय विकास में आ रही अनेक बाधाओं को दूर किया है तथा दृढ़ संकल्प के साथ महाविद्यालय को विकास के पथ पर आगे ले जाने को तत्पर हैं।

महामना मालवीय महाविद्यालय

खेकड़ा (बागपत)

STAFF LIST

PROF. SUNIL KUMAR TOMAR

PRINCIPAL

TEACHING STAFF

DEPTT. OF ENGLISH

1. Dr. Shailendra

DEPTT. OF ECONOMICS

1. Vacant
2. Vacant

DEPTT. OF HISTORY

1. Dr. Jagdish
2. Dr. manoj

DEPTT. OF POLITICAL SCIENCE

1. Sh. Uday Bhan Dwivedi
2. Dr. Davesh Shukla

DEPTT. OF PHYSICAL EDUCATION

1. Dr. Sunil Dhiman

DEPTT. OF HINDI

1. Dr. Shivendra Mishra
2. Dr. Gopeshwar Dutt Pandey

DEPTT. OF GEOGRAPHY

1. Smt. Swati
2. Sh. Rajnish Kumar

DEPTT. OF SANSKRIT

1. Dr. Bhavani Ram Chandran

SCIENCE FACULTY

DEPTT. OF PHYSICS

1. Sh. Hariom Kumar Kaushik
2. Vacant

DEPTT. OF MATHEMATICS

1. Sh. Gaurav
2. Smt. Gunjan Singh

DEPTT. OF CHEMISTRY

1. Dr. Pramod Kumar

LIBRARY

1. Vacant

NON-TEACHING STAFF

ADMN. OFFICE :

1. Office Superintendant : Vacant
2. Clerk : Bhupesh Kumar (Officiating OS)
3. Clerk : Vacant

LIBRARY :

Library Clerk : Sh. Surya Dutt Sharma

LAB. ASSISTANT :

1. Physics : Vacant; Chemistry : Vacant; Geography : Vacant

CLASS IV EMPLOYEES :

1. Sh. Rajbir Singh; 2. Sh. Pratap Singh (Daftari); 3. Sh. Ravindra Kumar (Gasman)
4. Sh. Saurabh Kumar, 5. Sweeper : Vacant; 6. Lab-boy : Vacant; 7. Vacant
8. Vacant; 9. Vacant; 10. Vacant; 11. Vacant, 12. Vacant; 13. Vacant; 14. Vacant

महामना मालवीय महाविद्यालय

खेकड़ा (बागपत)

एक झलक

- स्थापना : 1959
- स्थापनाकर्त्ता : स्व0 स्वामी पं0 डालचन्द जी
- आदर्श : स्व0 मदन मोहन मालवीय जी
- क्षेत्रफल : 117875 वर्ग फीट
- सम्बद्धता : चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
- स्तर : सह-शिक्षा संस्थान
- संकाय : 2 (कला एवं विज्ञान)
- स्नातक : कला संकाय विषय 08
  विज्ञान संकाय विषय 03
- अनुदानित स्वीकृत पद
  : प्राचार्य 01
  : शिक्षक 19
  : पुस्तकालयाध्यक्ष 01
- विद्यार्थी : लगभग 1100
- केन्द्रीय पुस्तकालय
- पुस्तकों की संख्या : लगभग 25000
- पुस्तकालय अध्ययन कक्ष
- विभागीय प्रयोगशालायें : 03
- सभा स्थल : 02
- प्रेक्षागृह : 01
- सेमीनार हॉल : 01
- एन.सी.सी.
- एन.एस.एस.
- रोवर्स/रेंजर्स एवं स्काउट गाइड (इसी वर्ष से)
- गर्ल्स कॉमन रूम
- खुला हरा-भरा मैदान (बगीचा)
- क्रीड़ा स्थल

विशेष नोट

1. छात्र/छात्राओं के लिए सभी प्रवेश प्रोविजनल होंगे, जब तक विश्वविद्यालय उन प्रवेशों को स्वीकृत न कर दे।
2. किसी छात्र या छात्रा को प्रवेश देने या न देने का अधिकार महाविद्यालय प्रशासन का होगा तथा प्रवेशित छात्र व छात्रा का प्रवेश बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार भी महाविद्यालय प्रशासन का होगा।
3. उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार रैगिंग संज्ञाय अपराध है। संलिप्त छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. प्रवेश स्वीकृति के समय प्रवेशार्थी को प्रवेश समिति के सम्मुख स्वयं उपस्थित होना होगा अन्यथा प्रवेश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. प्रवेश हेतु प्रकाशित मैरिट सूची विश्वविद्यालय द्वारा संसूचित की जाती है। यदि इसमें कोई गलती है या त्रुटि है तो प्रवेश से वंचित रहने वाले छात्र के लिए महाविद्यालय प्रशासन किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
6. महाविद्यालय की विवरणिका के किसी भाग या अनुच्छेद या लाइन / पैराग्राफ या नियम इत्यादि का प्रवेश तिथि से पहले परिवर्तित करने का अधिकार महाविद्यालय प्रशासन को होगा। परिवर्तन की सूचना महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर दी जायेगी। अतः सभी अभ्यर्थी प्रवेश से पहले नोटिस बोर्ड में देखें व पढ़ें अन्यथा महाविद्यालय प्रशासन किसी क्षति हेतु जिम्मेवार नहीं होगा।
7. कला वर्ग में अभ्यर्थी का नाम मेरिट सूची में आने पर प्रवेश के समय विषय संयोजन उपलब्ध विषय के आधार पर प्रवेश अधिकारी द्वारा दिये जायेंगे जिसे विकल्प पत्र पर अभ्यर्थी को हस्ताक्षर कर जमा करना होगा।
8. एक बार आवंटित विषय विकल्प परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
9. किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
10. छात्र/छात्राएँ वि0वि0 की वेबसाइट **admission.ccsuweb.in, ccsuniversity.ac.in** एवं **exam.csuweb.in** को नियमित रूप से देखें ताकि वि0वि0 द्वारा जारी सूचनायें व निर्देश छात्रों को प्राप्त हों। सूचनाओं की किसी भी अनभिज्ञता की स्थिति में महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
11. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की रिट याचिका संख्या 4236/2014 वादी वैभव मणि त्रिपाठी बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में छात्रों की **75%** उपस्थिति परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनिवार्य है।
12. स्नातक स्तर की आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने पर महाविद्यालय को अधिकार होगा कि वह छात्र या छात्रा को आगामी परीक्षा में बैठने दें या न दें। तर्कसंगत आधार पर छात्र को आंतरिक परीक्षा देने पर छूट दी जा सकती है परन्तु इसकी सूचना आन्तरिक परीक्षा समिति समन्वयक को लिखित रूप में देनी अनिवार्य होगी।
13. यदि किसी नियम अथवा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन किया जायेगा तो वह महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया जायेगा। अतः विद्यार्थी समय-समय पर नोटिस बोर्ड देखते रहें।

विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य निर्देश व आदेश

1. रैगिंग कानूनी जुर्म है, रैगिंग में लिप्त पाये जाने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
2. विद्यार्थी का महाविद्यालय द्वारा निर्धारित ड्रेस पहने बिना महाविद्यालय परिसर में प्रवेश वर्जित है।
3. विद्यार्थी का परीक्षाओं में भी महाविद्यालय द्वारा निर्धारित ड्रेस पहनकर ही आना अनिवार्य है।
4. महाविद्यालय के सभी नोटिस महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाते हैं। अतः छात्र प्रत्येक दिन नोटिस बोर्ड को देखें व पढ़ें। विद्यार्थी की किसी नोटिस की अज्ञानता के लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेवार नहीं होगा।
5. विद्यार्थी बी.ए. कक्षा में प्रवेश के समय विषय का चुनाव सावधानीपूर्वक करें। महाविद्यालय में उपलब्ध विषय समूह में से ही विषय चयन करना अनिवार्य है। एक बार चयनित विषय का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
6. यदि कोई छात्र चयनित विषय से अतिरिक्त किसी अन्य विषय को परीक्षा फार्म में भरता है तो संज्ञान में आने पर न केवल परीक्षा से रोका जायेगा वरन् अगले वर्ष उसे प्रवेश भी नहीं दिया जायेगा।
7. महाविद्यालय में अनुशासनहीनता में लिप्त अथवा महाविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने का दोषी पाये गये किसी भी अभ्यर्थी को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा ऐसे किसी भी छात्र को जिस पर भारतीय दण्ड संहिता में किसी भी दण्डनीय वाद में मुकदमा चल रहा है उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यदि उसका प्रवेश हो भी जाता है तो उस छात्र का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार महाविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित है।
8. विद्यार्थी अपना परिचय-पत्र (I-Card) महाविद्यालय परिसर में सदैव अपने पास रखें।
9. **विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान, तम्बाकू, गुटखा या मद्यपान करना तथा मोबाइल का प्रयोग करना निषेध है।**
10. विद्यार्थियों को वाहन **छात्रावास में बने साईकिल स्टैण्ड पर उचित शुल्क देकर ही खड़े करने होंगे। बाहर खड़ा वाहन चोरी होने की दशा में महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।**
11. विद्यार्थी परीक्षा फार्म भरते समय विवरणिका का अवश्य अवलोकन करें।
12. विद्यार्थी का अनावश्यक रूप से महाविद्यालय परिसर में घूमना वर्जित है। पकड़े जाने पर प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
13. पुस्तकों/मैगजीन को पढ़ने के लिए पुस्तकालय के वाचनालय का प्रयोग करें।
14. विद्यार्थी को जाति का प्रमाण-पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (प्रवेश के समय)
15. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को पुस्तकालय एवं विभाग से अदेय प्रमाण-पत्र (No Dues) प्राप्त करना अनिवार्य है।
16. विद्यार्थी परीक्षा समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर पुस्तकालय से प्राप्त पुस्तकें, पुस्तकालय में वापिस जमा करा दें तथा अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें। अन्यथा की स्थिति में प्रतिदिन के हिसाब से निर्धारित अर्थदण्ड देय होगा।
17. विद्यार्थी **छात्रवृत्ति के फार्म प्रवेश प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित खिड़की पर लिपिक के पास जमा करें।**
18. विद्यार्थी प्रवेश से पूर्व अपने पास टी0सी0, चरित्र प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र /आधार कार्ड/वोटर आई.डी., भारांकन हेतु प्रमाण-पत्र तैयार कराकर अवश्य मूल रूप से अपने पास सुरक्षित रखें ताकि प्रवेश के समय प्रस्तुत किया जा सके। अन्यथा प्रवेश स्वीकार नहीं किया जायेगा।
19. जाति प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण-पत्र तहसील से केवल कम्प्यूटर द्वारा बना होना चाहिए।
    *उ0प्र0 से बाहर से परीक्षा पास करने या उ0प्र0 से बाहर के निवासी को निवास प्रमाण-पत्र प्रवेश के समय मूल रूप से लाना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
20. यदि प्रवेशार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाते हैं तो प्रवेश निरस्त करते हुए विद्यार्थी के विरुद्ध FIR दर्ज करायी जायेगी।
21. अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रवेशार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि प्रवेश के समय आय प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। आय प्रमाण-पत्र तीन वर्ष से अधिक पुराना न हो।
22. प्रवेश स्वीकृति के समय प्रवेशार्थी को प्रवेश समिति के सम्मुख स्वयं उपस्थित होना होगा अन्यथा प्रवेश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
23. स्नातक कक्षा में प्रवेश करने के लिए इन्टरमीडिएट का परीक्षाफल उत्तीर्ण/पूर्ण होना अनिवार्य है, गलत पंजीकृत होने पर विद्यार्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी, जिस पर प्रवेश हेतु विचार नहीं किया जायेगा।
24. कॉलेज प्रवेश-विवरणिका मूल्य रु0 200/- का नकद भुगतान (अप्रतिदेय) कर प्राप्त किया जा सकता है। कॉलेज विवरणिका खरीदने का अर्थ कॉलेज में प्रवेश की गारन्टी नहीं है।
25. प्रवेश सम्बन्धी किसी सूचना का संशोधन या परिवर्तन नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी। छात्र प्रवेश से पूर्व सूचना-पट्ट अवश्य देखें।

प्रवेश के समय विद्यार्थी निम्न प्रलाजात मूल रुप में मिलान हेतु साथ लेकर आयें-

1. कक्षा 10 से उच्च स्तर तक समस्त अंकतालिकायें।
2. चरित्र प्रमाण-पत्र (मूल रूप में)।
3. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (T.C.) (मूल रूप में)
4. जाति प्रमाण-पत्र। (आरक्षण के लिए-SC/ST/OBC/EWS)
5. आय प्रमाण-पत्र । (केवल SC/ST वर्ग हेतु, केवल 2 लाख रुपये सीमा तक)
6. मूल निवास प्रमाण-पत्र की छाया-प्रति।
7. आधार कार्ड की छाया-प्रति।
8. कोविड वेक्सीनेशन के प्रमाण-पत्र।
9. सामने मुख वाले तीन पासपोर्ट साईज फोटो।

नोट :- (1) आरक्षित वर्ग के छात्र/छात्राओं को बिना जाति प्रमाण-पत्र के प्रवेश में आरक्षण की सुविधा नहीं दी जायेगी।

(2) आय-प्रमाण-पत्र के अभाव में पूर्ण शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

उपलब्ध पाठ्यक्रम-

विज्ञान संकाय - 1. भौतिक शास्त्र, 2. रसायन शास्त्र, 3. गणित।

कला संकाय - 1. हिन्दी, 2. अंग्रेजी, 3. संस्कृत, 4. अर्थशास्त्र, 5. इतिहास, 6. राजनीतिशास्त्र, 7. भूगोल, 8. शारीरिक शिक्षा।

टिप्पणी- (अ) उपर्युक्त विषयों में से प्रत्येक प्रवेशार्थी को केवल तीन विषयों का चयन करना है।

(ब) कोई भी छात्र हिन्दी, अंग्रेजी तथा संस्कृत में से केवल दो विषयों का चयन कर सकता है। लेकिन इतिहास के साथ भूगोल, अंग्रेजी के साथ संस्कृत व हिन्दी के साथ राजनीतिशास्त्र विषय का चयन नहीं किया जा सकता है।

(स) विषयों में प्रवेश उपलब्ध स्थानों की सीमा के अंतर्गत ही होगा।

(द) अंग्रेजी विषय अंक (60 प्रतिशत और अधिक) वरीयता के आधार पर दिया जायेगा।

महाविद्यालय की ड्रैस

छात्राएँ - सफेद कुर्ता, [illegible]

छात्र - सफेद शर्ट, काली पैन्ट, जुते।

जनसूचना/नोटिस बोर्ड अधिकारी

डॉ0 सुनील धीमान (प्रभारी) श्री भूपेश कुमार (सहायक)

कोरोना सम्बन्धी नियम

सभी विद्यार्थियों को निम्नलिखित को[illegible]

1. सभी विद्यार्थियों को कोरोना की दोनों डोज लगने का प्रमाण-पत्र देना होगा।
2. सभी विद्यार्थी चेहरे पर मास्क लगाकर ही महाविद्यालय आयेंगे। (सरकार के आदेशानुसार)
3. कोई भी विद्यार्थी महाविद्यालय में इधर-उधर नहीं थूकेगा।
4. सभी विद्यार्थयों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

सन् 2022–23 हेतु महाविद्यालय की विभिन्न समितियां तथा उनके पदाधिकारी

विवरणिका समिति-

चेयरमैन - प्रो0 सुनील कुमार तोमर (प्राचार्य)
संयोजक - डॉ0 सुनील धीमान
सदस्य - डॉ0 शैलेन्द्र, डॉ0 मनोज, डा0 गोपेश्वर, श्री गौरव।

मुख्य प्रवेश संयोजक- डॉ0 सुनील धीमान।

महाविद्यालय की समितियों के प्रभारी-

IQAC-	डॉ0 सुनील धीमान।
अनुशासन-	डॉ0 शैलेन्द्र।
सांस्कृतिक कार्यक्रम-	डॉ0 भवानी रामचन्द्रनन (प्रभारी)
	डॉ0 गोपेश्वर पाण्डेय (सह प्रभारी)
कैरियर गाइडेन्स सेल-	डॉ0 प्रमोद कुमार (प्रभारी)
	श्रीमती गुंजन सिंह (सह-प्रभारी), श्री हरिओम शर्मा (सह-प्रभारी)
एन.सी.सी. -	डॉ0 सुनील धीमान
एन.एस.एस. -	डॉ0 शैलेन्द्र
	श्रीमती स्वाति
कॉलेज पत्रिका -	डॉ0 शिवेन्द्र मिश्रा
वित्त समिति-	डॉ0 शैलेन्द्र
प्रांगण सुन्दरता समिति-	डॉ0 जगदीश (प्रभारी), डॉ0 देवेश शुक्ल (सह-प्रभारी)
सेमीनार, वर्कशाप-	डॉ0 गोपेश्वर (प्रभारी)
	डॉ0 प्रमोद (सह-प्रभारी)
परीक्षा समिति-	डॉ0 सुनील धीमान
पुस्तकालय प्रभारी-	डॉ0 उदयभान द्विवेदी
रोवर्स प्रभारी-	डॉ0 शैलेन्द्र

इसके अतिरिक्त अन्य समितियों के गठन की सूचना महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जायेगी। समिति सदस्यों की सूचना कार्यालय आदेश के द्वारा अलग से दे दी जायेगी।

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

सत्र 2022-23

प्रवेश के नियम

- प्रवेश परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षा/यू0पी0एस0ई0ई0/एन0ई0ई0टी0 के माध्यम से प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के पोर्टल **www.ccsuniversity.ac.in** पर समयबद्ध सफल पंजीकरण करना अनिवार्य है।
- बिना प्रवेश परीक्षा के योग्यता सूची से प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत पंजीकरण पोर्टल **www.ccsuweb.in** के माध्यम से ही समयबद्ध सफल पंजीकृत अभ्यर्थियों के प्रवेश किये जायेंगे।
- अल्पसंख्यक अभ्यर्थी सम्बन्धित महाविद्यालयों /संस्थानों में प्रवेश **www.ccsuweb.in** पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों के लिये आवेदन कर सकते हैं।
- कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत किसी भी अभ्यर्थी को आवेदन-पत्र भरने से पूर्व प्रवेश पोर्टल पर उपस्थित वीडियो और **F/A Question** देखकर अपनी शंकायें दूर कर सकता है।
- कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत किसी भी अभ्यर्थी को आवेदन-पत्र भरने में समस्या आये, तो प्रवेश पोर्टल पर दिये गये मोबाईल नं0 से वीडियो कॉल के माध्यम से सम्पर्क कर समस्या का समाधान कर सकता है।
- 10 प्रतिशत आरक्षण **EWS** के लिये लागू होगा।
- विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत पोर्टल पर सफल पंजीकरण के बिना कोई भी प्रवेश मान्य नहीं होगा।

1. विश्वविद्यालय द्वारा नियत निर्देशानुसार महाविद्यालयों/स्ववित्तपोषित संस्थानों में प्रवेश और शिक्षण कार्यक्रम की प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

(क) प्रथमतः महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा योग्यता क्रम सूची के आधार पर बिना प्रवेश परीक्षा के किये गये सभी प्रवेश विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.ccsuweb.in** पर ऑनलाइन सम्पुष्ट होने आवश्यक होंगे। महाविद्यालय अपने स्तर पर समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों के पत्रजात, उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित करायेंगे। सत्यापत प्रवेश ही मान्य होंगे। विद्यार्थी द्वारा भरा गया विवरण सत्यापित न होने की दशा में किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

(ख) प्रवेश, अहर्ता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई ऑनलाइन योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जांच-पड़ताल पर महाविद्यालयां/संस्थानों में क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उ0प्र0 सरकार के नियमानुसार आरक्षित होंगे। शारीरिक रूप से 40 प्रति शत से अधिक विकलांग, (दृष्टिहीन/कम दृष्टि, श्रवण ह्रास/पालन निशिक्तता, अंग-भंग आदि) हेतु कुल 4 प्रतिशत, स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित 2 प्रतिशत और भूतपूर्व सैनिकों या उनके आश्रितों को 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में क्षैतिज आरक्षण उचित प्रमाण-पत्रों के आधार पर प्रदान किया जायेगा। यदि अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी प्रवेश के लिए उपलब्ध नहीं है तो उनके स्थान पर अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। छात्राओं को क्षैतिज आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा। 10 प्रतिशत आरक्षण ई0डब्ल्यू0एस0 के लिये लागू होगा।

(ग) (i) प्रवेश परीक्षा विहीन प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को **www.ccsuweb.in** पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ कर लॉगइन आईडी (पंजीकरण संख्या) प्राप्त करनी होगी, जो अभ्यर्थी के व्यक्तिगत विवरण पर आधारित होती है। इस हेतु हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट की अंकतालिका के विवरण, फोटो, निवास का पता, स्वयं का मोबाईल नं0, स्वयं का ईमेल होना आवश्यक है। तत्पश्चात् आवेदन-पत्र में मांगे गये भारांक, शैक्षिक विवरण तथा वांछित पाठ्यक्रम व महाविद्यालय/संस्थान की वरीयता देना अनिवार्य होगा। अन्त में आवेदन-शुल्क जमा करने के उपरान्त सम्पूर्ण आवेदन-पत्र का भली-भांति अवलोकन कर ऑनलाइन जमा करना आवश्यक होगा। पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड अभ्यर्थी के दिये गये मोबाईल नं0 पर प्रेषित की जाती है। अपनी पंजीकरण संख्या व पासवर्ड को सुरक्षित रखना अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित करें। आवेदन-पत्र को प्रिन्ट करके अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा, इसमें विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। किसी अन्य के द्वारा ऑन लाइन आवेदन-पत्र भरवाने के कारण हुई त्रुटियों को समयानुसार पोर्टल पर संशोधन का विवरण विश्वविद्यालय द्वारा दिये जाने पर अभ्यर्थी द्वारा शुद्ध कर लेना आवश्यक होगा। प्रवेश के समय संशोधन करना सम्भव नहीं होगा।

(ii) प्रवेश हेतु दो योग्यताक्रम (मेरिट) सूचियाँ प्रकाशित की जायेगी, जिसके माध्यम से प्रवेश सीमित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान की चयन सूची में वरीयताक्रमानुसार नाम आने पर लिये जा सकते हैं। प्रत्येक योग्यता सूची के प्रवेश ऑफर लेटर अपने लॉगइन से डाउनलोड कर सम्बन्धित महाविद्यालय में गोपनीय संख्या देने पर प्रवेश सम्पुष्ट किये जा सकते हैं। ऑफर लेटर मात्र अभ्यर्थी अपने लॉगइन से प्राप्त कर सकता है एवं प्रवेश सम्पुष्टिकरण मात्र सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान द्वारा उनके लॉगइन से किया जा सकता है। किसी भी योग्यता सूची की समय सीमा समाप्त होने पर नाम होने पर भी प्रवेश सम्पुष्ट नहीं हो सकते। प्रथम वरीयता के महाविद्यालय/संस्थान में नाम आने पर व प्रवेश सम्पुष्ट होने के पश्चात् पुनः नाम किसी भी मेरिट लिस्ट (ओपन सहित) में प्रदर्शित नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम दो वरीयता सूची में नाम आने के उपरान्त भी प्रवेश नहीं ले पाते हैं, तो वे प्रथम ओपन मेरिट में महाविद्यालय/संस्थान की वरीयतानुसार दी गयी सूची में पुनः प्रवेश लेने के लिये प्रयास कर सकते हैं।

(iii) प्रथम ओपन मेरिट के उपरान्त ओपन पंजीकरण अर्थात् महाविद्यालय/संस्थान व पाठ्यक्रम के विकल्प के बिना पूर्ण किया गये आवेदन-पत्र के आधार पर ऑफर लेटर में इंगित गोपनीय संख्या के माध्यम से रिक्त सीटों के सापेक्ष आरक्षण नियमानुसार वांछित महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना उचित होगा कि ओपन पंजीकरण आवेदन-पत्र से समाप्त हो जायेंगे व इन्हें नवीन अभ्यर्थी की भांति ही पुनः ऑफर लेटर डाउनलोड करना होगा तथा वांछित महाविद्यालय/संस्थान में समस्त प्रपत्रों के साथ उपस्थित होना होगा। महाविद्यालय/संस्थान द्वारा ऑनलाइन प्रवेश सम्पुष्ट होने पर अभ्यर्थी के लॉगइन में सूचना प्राप्त होने पर ही प्रवेश मान्य होगा।

(घ) विषय संयोजन आवंटित करने का अधिकार सभी नियमों का संज्ञान लेते हुए महाविद्यालयों के प्राचार्य/उनके द्वारा नामित प्रवेश समिति को ही होगा। विषय संयोजन आवंटित करने में महाविद्यालयों/संस्थानों की सीट उपलब्धता, सेक्शन की सीमितता, शिक्षक की उपलब्धता, छात्र की अर्हता का संज्ञान लेकर ही ऑनलाइन सम्पुष्ट करने होंगे। किसी भी प्रकार की त्रुटियों के सम्बन्ध में 2 कार्य दिवस के अन्तर्गत प्राचार्य लॉगइन से संशोधन हो सकता है, किन्तु 2 कार्यदिवस के पश्चात् सूचित करने पर किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा। विषय संयोजन की सम्पुष्टि के पश्चात् विषय परिवर्तन भी मान्य नहीं होगा। ओपन मेरिट द्वारा बाद में प्रवेश लेने वाले, किन्तु योग्यताक्रम में श्रेष्ठ अर्ह अभ्यर्थी को उसके चयनित विषय, अनुपलब्धता की स्थिति में न मिलने पर महाविद्यालय संस्थान दोषी नहीं होगा। महाविद्यालय अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे कि विषय संयोजन सीमित हो, जिससे रिक्त स्थान न शेष रहें।

आरक्षित स्थान हेतु, पंजीकृत अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण स्थान रिक्त रह जाने पर, प्रवेश के लिए अनारक्षित श्रेणी के अर्ह अभ्यर्थियों से द्वितीय ओपन मेरिट (जो पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया के पश्चात् व पंजीकृत समस्त अप्रवेशित अर्ह अभ्यर्थियों के लिये उपलब्ध हैं) में भरे जा सकते हैं।

नोटः- यदि प्रमाण-पत्र उचित अधिकारी द्वारा प्रदत्त नहीं होंगे तो उस छात्र का अभ्यर्थन सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी की भांति माना जायेगा। पंजीकरणके समय उचित आरक्षण का दावा न करने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश के समय या प्रवेश के पश्चात् वांछित किसी भी प्रकार का आरक्षण प्रदान नहीं किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी, जिसने प्रवेश आवश्यक योग्यता परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य से बाहर के किसी अन्य प्रदेश के बोर्ड/संस्थान से उत्तीर्ण की है, किन्तु उत्तर प्रदेश के निवासी के रूप में प्रवेश का दावा प्रस्तुत करता है, तो उसे सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रदत्त उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण-पत्र एवं आरक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा वह अन्य प्रदेश की श्रेणी में माना जायेगा।

(ड) (i) अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के प्रवेश निर्धारित सीटों का अधिकतम 10 प्रतिशत सीमा तक ही होंगे, (व्यावसायिक पाठ्यक्रम में यह सीमा लागू नहीं होगी।) परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि अर्हता परीक्षा में उनकी योग्यता उत्तर प्रदेश के सामान्य श्रेणी अभ्यर्थियों से कम न हो। यदि कोई अभ्यर्थी, जो कि दूसरे राज्य का निवासी है, उत्तर प्रदेश के किसी महाविद्यालय/संस्थान से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भी दूसरे राज्य की श्रेणी में ही रखा जायेगा।

(ii) प्रवेश सत्र **2022-23 से ट्रान्सजेन्डर** लिए भी प्रवेश मान्य होगा, किन्तु ट्रान्सजेन्डर के लिए आरक्षण न होने के कारण पुरुष श्रेणी में ही मेरिट लिस्ट में माना जायेगा।

(च) (i) किसी भी सरकारी कर्मचारी एवं सार्वजनिक सेवा वाले कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री का प्रवेश, उनके माता-पिता के स्थानान्तरण के कारण सम्बन्धित महाविद्यालय में स्थान होने पर माननीय कुलपति या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी की पूर्व अनुमति से स्वीकार्य होगा। यदि अभ्यर्थी पंजीकृत हो तो, ऐसे स्थानान्तरण केवल प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक माह के अन्तर्गत तक ही स्वीकार्य होंगे। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा फार्म भरने के बाद स्थानान्तरण स्वीकार्य नहीं होगा।

(ii) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक महाविद्यालय/संस्थान से दूसरे महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण हेतु पूर्व महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्यों/निदेशकों के अनापत्ति पर द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सीट उपलब्ध होने पर दूसरे (जिस महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण चाहता है) महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/निदेशक के द्वारा विवेकानुसार प्रवेश स्थानान्तरण स्वीकृत किया जा सकेगा। यह सुविधा एक ही शहर के मध्य स्थित महाविद्यालयों/संस्थानों के छात्रों को अनुमन्य नहीं होगी।

(iii) किसी भी दशा में विद्यार्थियों का प्रथम वर्ष में स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

(iv) अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य से अनापत्ति लेकर महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त विषयों की आख्या सहित विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराकर विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(v) स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों/संस्थानों/पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों का स्थानान्तरण अनुदानित एवं राजकीय महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों में नहीं किया जायेगा। व्यावसायिक महाविद्यालयों/संस्थानों/पाठ्यक्रमों में स्थानान्तरण विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति, महाविद्यालयों/संस्थानों की अनापत्ति व पृथक जनपद होने पर ही द्वितीय वर्ष या अधिक होने पर ही अनुमन्य होगा।

(छ) जिन अभ्यर्थियों ने इण्टरमीडिएट की परीक्षा यू0पी0 बोर्ड, अन्य बोर्ड या अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो (जैसे : सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई. आदि) उनके स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए मेरिट में इण्टरमीडिएट के सभी विषयों के प्राप्तांक जोड़े जायेंगे। स्नातक कक्षाओं में प्रवेश बिना प्रवेश परीक्षा की स्थिति में, कुल सीटों की अधिकतम 50 प्रतिशत तक सीटें उन अभ्यर्थियों द्वारा भरी जा सकती हैं, जिन्होंने इण्टरमीडिएट की परीक्षा यू0पी0 बोर्ड के अतिरिक्त या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो। (जैसे: सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई. आदि) किन्तु उनके सभी विषयों के प्राप्तांक उ0प्र0 बोर्ड के सम्बन्धित श्रेणियों के अभ्यर्थियों से कम नहीं होने चाहियें।

(ज) स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा में चार वर्ष के अन्तराल से ज्यादा अन्तराल होने पर प्रयोगात्मक विषयों की डिग्री को छोड़कर प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।

(झ) ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने एम.ए. की उपाधि प्राप्त कर ली है अथवा संस्थागत छात्र के रूप में एम.ए. में दो वर्ष का अध्ययन कर लिया है, उन्हें अन्य विषय में प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर एम.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी अन्य विषय में एम.ए. करना चाहता है तो वह प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा दे सकता है।

(ञ) ऐसे विद्यार्थी प्रथम वर्ष के उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे जिन्होंने हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा, मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण नहीं की होगी।

(ट) योग्य/पात्र अभ्यर्थियों को हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा (सम्बन्धित विषय सहित) मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होनी चाहिए। तीन वर्ष से अधिक की स्नातक उपाधि अर्हता में उल्लिखित हो, तभी अनुमन्य होगी। विद्यार्थी प्रथम वर्ष में ऐसी स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए योग्य/पात्र नहीं होंगे, जिन्होंने 10+2+3 पद्धति (पैटर्न) के अन्तर्गत स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की होगी।

विशेष नोटः-

(1) ऐसे विद्यार्थी, जिन्होंने कोई भी परीक्षा अमान्य बोर्डों/विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की है, इस विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिये अर्ह नहीं है। निम्नलिखित अमान्य बोर्ड एवं विश्वविद्यालय के अतिरिक्त यदि किसी ऐसे ही बोर्ड एवं विश्वविद्यालय की जानकारी प्रवेश के समय या प्रवेश के पश्चात् संज्ञान में आती है, तो उनका कोई भी विद्यार्थी प्रवेश के लिए अर्ह नहीं होगा।

(2) महाविद्यालय में प्रवेश के समय एक सेक्शन में स्नातक स्तर पर सामान्यतः 60 विद्यार्थियों के ही प्रवेश किये जायेंगे। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में निर्गत शासनादेशों के आलोक में महाविद्यालय के प्राचार्य यदि 1 (शिक्षक : 60 (विद्यार्थी) अथवा 1 (शिक्षक) : 80 (विद्यार्थी) के अनुपात में शिक्षक उपलब्ध हैं तो प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व मान्य व अतिरिक्त 20 सीट प्रति सेक्शन के अनुपात में सीट संख्या के सापेक्ष प्रति विषय उपलब्ध अनुमोदित शिक्षकों की सूचना विश्वविद्यालय को देंगे, माननीय कुलपति जी द्वारा स्वीकृत के उपरान्त इन निर्धारित सीटों पर प्रवेश ऑनलाईन सम्पुष्ट किये जा सकते हैं। प्राचार्यों को न तो निर्धारित संख्या से अधिक और न ही निर्धारित तिथि के उपरान्त प्रवेश देने का अधिकार होगा और यदि व ऐसा करते हैं तो उनके विरुद्ध शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही की जा सकती है। निर्धारित सीमा से अधिक प्रवेश शासनादेशों के अन्तर्गत कार्यवाही से आच्छादित रहेंगे तथा इसके लिये प्राचार्य ही उत्तरदायी होंगे।

(3) "शासनादेश संख्या 2555/सत्तर-2-2007-2(166)/2003 उच्च शिक्षा अनुभाग-2 दिनांक 25 जून के अनुसार शैक्षित सत्र 2007-08 के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु शैक्षिक सत्र 2006-07 में निर्गत शासनादेश संख्या-1678/सत्तर-2-2006-2(166)/2003 दिनांक 23 मई, 2006 शासनादेश संख्या-1870/सत्तर-2-2000-2(166)/2003 उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 07 जून, 2006 तथा शासनादेश संख्या-3371/सत्तर-2-2000-2(166)/2003 दिनांक 21 अगस्त, 2006 तथा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 यथावत् लागू माने जायेंगे।

(4) किसी भी विद्यार्थी को प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम वाले स्नातकोत्तर विषय (इन्टीग्रेटिड पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी, वह विषय इण्टरमीडिएट/स्नातक स्तर पर नहीं लिया है। इसमें मनोविज्ञान प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम होते हुए भी अपवाद होगा, जिसके स्नातक स्तर पर यह विषय होना आवश्यक नहीं होगा।

(5) किसी भी अभ्यर्थी को बी.ए. में तीन साहित्यिक विषय अथवा तीन प्रयोगात्मक विषय अनुमन्य नहीं होंगे।

Note : In case of National Institute of Open Schooling, New Delhi, the candidate must have passed Intermediate Examination with five subjects.

(6) ऐसा अभ्यर्थी, जिसकी उपस्थिति शैक्षिक सत्रा के प्रत्येक पाठ्यक्रम में पूरी हो किन्तु यदि वह परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है या अनुत्तीर्ण हो जाता है तो, विश्वविद्यालय परीक्षा हेतु उसे संस्थागत विद्यार्थी के तौर पर पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा। उसे वह परीक्षा एक पूर्व-विद्यार्थी

(Ex-Student) के रूप में ही उत्तीर्ण करनी होगी। विद्यार्थी जिसने विश्वविद्यालय परीक्षा का फार्म नहीं भरा होगा, उसे पूर्व विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(7) अभ्यर्थी द्वारा किसी भी तरह के भारांक का दावा करने पर वरीयता सूची को आंकने के लिए प्रवेश के समय निम्नलिखित भारांक (Weightage) दिए जायेंगे-

(अ) मेरिट प्रतिशत में 4 अंकों का अधिभार चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के (स्नातक/परास्नातक) छात्रों के लिए।

(ब) मेरिट प्रतिशत में 4 अंकों का अधिभार, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय/सम्बद्ध कॉलेजों के शिक्षकों/कर्मचारियों के (पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति) के लिए।

(स) मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने परास्नातक विषय में प्रवेश हेतु सम्बन्धित विषय में स्नातक ऑनर्स के साथ उपाधि प्राप्त की हो।

(द) (i) मेरिट प्रतिशत में 3 अंकों का अधिभार उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने NCC का "C" या "G-H" सर्टिफिकेट अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ प्राप्त किया हो।

अथवा

(ii) मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने NCC का "B" या "G-I" सर्टिफिकेट अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ प्राप्त किया हो।

अथवा

(iii) मेरिट प्रतिशत में 3 अंकों का अधिभार उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) के अन्तर्गत 240 घंटों की सेवा की हो तथा 7/10 दिनों के 2 शिविरों में भाग लिया हो अथवा 2 प्रतिशत अधिभार उनके लिए जिन्होंने अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ 240 घण्टों की सेवा तथा 7/10 दिनों का एक शिविर किया हो अथवा 1 प्रतिशत अधिभार उनके लिए जिन्होंने 240 घण्टों की सेवा की हो या 120 घण्टों की सेवा तथा ऐसा 1 शिविर किया हो।

अथवा

स्काउटिंग में तथा रेंजर/रोवर गतिविधि में अर्हता कक्षा के दौरान भाग लेने वाले अभ्यर्थियों हेतु अधिभार निम्न प्रकार होगा-

(i) मेरिट प्रतिशत में 4 अंकों का अधिभार भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित होने पर।

अथवा

(ii) मेरिट प्रतिशत में 4 अंकों का अधिभार- राज्यपाल द्वारा सम्मानित होने/निपूण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

अथवा

(iii) मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार-तृतीय सोपान/गुरुपद/प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

अथवा

(iv) मेरिट प्रतिशत में 1 अंक का अधिभार-द्वितीय सोपान/ध्रुवपद परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

(8) 5 प्रतिशत स्पोर्ट्स कोटा ऑनलाईन पंजीकृत छात्रों के उचित शारीरिक दक्षता परीक्षण के पश्चात् जी0ओ0 नं0 एफ0 14-3/85 (सी0पी0), दिनांक 24-04-1985 के क्रम में कुलपति जी के आदेश से सीट सीमा के अन्तर्गत प्रदान किया जा सकता है एवं ऐसे अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा देकर 5 प्रतिशत स्पोर्ट्स कोटा के स्थानों पर प्रवेश हेतु, पाठ्यक्रमानुसार (व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर) अर्ह हो सकते हैं। किसी भी स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा समाप्त करनी आवश्यक होगी। जिन्होंने अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ भारतीय विश्वविद्यालय संघ (A.I.U.) अथवा भारतीय ओलम्पिक संघ (I.O.A.) द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/प्रदेशीय/अन्तर्विश्वविद्यालयीय स्तर पर खेलों में भाग लिया हो अथवा SAI (Sports Authority of India) द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त प्रमाण-पत्र धारक हो।

नोट :- (i) किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को मेरिट प्रतिशत में 8 अंकों तक का अधिभार ही देय होगा, (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति को मेरिट प्रतिशत में अधिकतम 12 अंकों तक अधिभार दिया जा सकता है।

(ii) **किसी अधिभार के आधार पर द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्र, प्रथम श्रेणी छात्र से और तृतीय श्रेणी प्राप्त छात्र, द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्र से उच्चतर प्राथमिकता नहीं प्राप्त कर सकेगा अर्थात् प्राथमिकता पर अधिभार अंकों का कोई प्रभाव नहीं होगा।**

(9) कोई भी विदेशी विद्यार्थी किसी भी महाविद्यालय द्वारा किसी पाठ्यक्रम के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसको जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान न कर दिया जाये। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी महाविद्यालय में विदेशी विद्यार्थी व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं माने जायेंगे।

(10) (i) बी.ए. में प्रवेश लेने वाले ऐसे अभ्यर्थी के, जिसने इण्टरमीडिएट विज्ञान, वाणिज्य और कृषि पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण किया है, अर्हता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत में से (योग्यता की गणना के लिए) कोई अंक नहीं घटाया जायेगा।

(ii) इण्टरमीडिएट परीक्षा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में बी.कॉम, बी.ए. अथवा बी.एस-सी. में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा के दो तिहाई प्राप्तांक तथा प्रयोगात्मक विषयों के एक तिहाई प्राप्तांक जोड़े जायेंगे।

(11) (i) विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग तथा गलत आचरण करने वाले किसी दोषी घोषित अभ्यर्थी को उस जनपद के किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ii) ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हिस्ट्रीशीटर हो या नैतिक पतन के किसी अपराध अथवा किसी अपराधिक मामले में सम्मिलित हो, विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि प्रवेश दे दिया गया है तो बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।

(iii) किसी भी महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक को किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश या पुनः प्रवेश महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के हित में बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

(iv) किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश नियमों के विरुद्ध होने पर अथवा गलत तथ्यों के आधार पर होने की स्थिति में कुलपति/प्राचार्य द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

(v) अनुशासन मण्डल के अनुसार रैगिंग करने या वातावरण को दूषित करने अथवा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दुर्व्यवहार या दूषित वातावरण उत्पन्न करने का दोषी पाये गये किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा उसका प्रवेश हो जाने पर भी बिना करण बताये निरस्त किया जा सकता है।

(vi) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी-

"If any incident of ragging comes to the notice of the authority, the concerned student shall be given liberty to explain, and if his explanation is not found satisfactory, the authority would expel him from the institution."

(12) ऐसा अभ्यर्थी, जिसने स्नातक परीक्षा एकल वर्ष में 1998 के बाद उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्य नहीं माना जायेगा।

(13) यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हैतो उसे स्नातक स्तर पर एकल विषय में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा।

(14) (i) अभ्यर्थी, जिसने उत्तर मध्यमा/शास्त्री परीक्षा, सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय में बी.ए. प्रथमएम.ए. प्रथम (संस्कृत) में प्रवेश लेने योग्य माना जायेगा।

(ii) ऐसा अभ्यर्थी, जिसने शास्त्री परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 10+2+3 शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत उत्तीर्ण की है एवं शासन द्वारा अधिकृत उत्तर प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न करायी गयी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से योग्यता प्रवेश की सूची में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश प्रक्रिया के दौरा अर्ह होगा। (समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 05-06-2004 में लिये गये निर्णयानुसार)। बी.एड./बी.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह होगा (प्रवेश समिति की दिनांक 28-02-2009 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार)।

(15) ऐसे अभ्यर्थी, जिसने कोई भी परीक्षा साहित्य सम्मेलन प्रयोग इलाहाबाद से उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश लेने के योग्य नहीं माना जायेगा।

(16) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष या स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष व्यक्तिगत अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण किया है, संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होगा।

(17) कोई भी अभ्यर्थी स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड, यू.पी. या अन्य किसी बोर्ड से प्राप्त किसी डिप्लोमा के आधार पर योग्य नहीं समझा जायेगा। विश्वविद्यालय का कोई भी पूर्ववर्त्ती निर्णय ऐसे किसी डिप्लोमा के बारे में निरस्त समझा जायेगा।

(18) कोई भी अभ्यर्थी किसी भी महाविद्यालय परीक्षा में बैठने के लिए अनुमत नहीं होगा, जब तक वह अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर उस परीक्षा में बैठने योग्य न हो। महाविद्यालय अस्थायी प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का परीक्षा फार्म बिना योग्यता परीक्षा का परिणाम जाने वि.वि. को प्रेषित नहीं करेगा।

(19) **कोई भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय परीक्षा में तब तक नहीं बैठ पायेगा, जब तक वह परिनियमों में वर्णित न्यूनतम निर्धारित उपस्थिति पूरी न करता हो।**

(20) परीक्षा सुधार (पुनः परीक्षा) में बैठने योग्य अभ्यर्थी का उसी उपाधि की अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश स्वीकार्य होगा और वह परीक्षा सुधार परीक्षा के साथ अगले साल की परीक्षा देगा। यदि किसी कारण से अभ्यर्थी पुनः परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो उसका अस्थायी प्रवेश

स्वत: ही निरस्त हो जायेगा और उसे सभी विषयों में पूर्व विद्यार्थी (Ex Student) के रूप में परीक्षा पुन: देनी होगी। स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

(21) यदि कोई अभ्यर्थी कृपांक की सहायता से परीक्षा उत्तीर्ण करता है या उसकी श्रेणी सुधरती है तो वह नियमानुसार देय लाभ का अधिकारी होगा। (किन्तु मेरिट सूची में इसका प्रभाव मान्य नहीं होगा।)

(22) आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी यदि उच्चतर योग्यता के कारण सामान्य श्रेणी में प्रवेश के लिये चुन लिया जाता है तो उस श्रेणी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कम नहीं होगी और नियमों की अज्ञानता उसके उल्लंघन का बहाना नहीं मानी जायेगी।

(23) विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों के प्रवेश में छात्राओं को क्षैतिज (Horizontal) आधार पर 20% का आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

(24) विश्वविद्यालय के परिनियम के अध्याय IV केप्रस्तर 4 के अनुसार किसी भी विद्यार्थी को एक साथ दो पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी जब तक कि परिनियमों एवं अधिनियमों में ऐसा प्रावधान न हो।

(25) प्रवेश के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन से प्राप्त आदेशों का पालन किया जायेगा।

(26) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रवेश समिति का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

(27) किसी भी गैर प्रायोगिक विषय में स्नातक अथवा परास्नातक स्तर पर प्रवेश के लिए अर्हता उपाधि से दो वर्ष से अधिक का अन्तराल अनुमत नहीं होगा।

(28) यदि अभ्यर्थी उनके द्वारा चयनित महाविद्यालय की योग्यता सूची में नाम आने पर प्रवेश हेतु दिये गये समय के भीतर पत्राजातों सहित प्रस्तुत होकर प्रवेश सम्पुष्ट कराने में असमर्थ रहते हैं तो उन्हें रिक्त सीट रहने की स्थिति में उस महाविद्यालय अथवा अन्य (जिसका चयन उन्होंने प्रवेश आवेदन भरते समय नहीं किया हो) महाविद्यालय में प्रवेश अन्तिम चरण में दिया जा सकता है। यदि प्रवेश सम्पुष्ट न होने का आधार उनके पत्राजातों का सत्यापित न हो पाना है तो उनमें त्रुटि संशोधन के पश्चात् उनका नाम पुन: योग्यता सूची में आ सकता है। किसी भी तरह की त्रुटि संशोधन के लिए एक से अधिक बार आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

(29) समय-समय पर विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा लिये गये निर्णय प्रवेश की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जायेंगे, जो मान्य होंगे। शुल्क प्रतिपूर्ति के सभी नियम शासनादेशों से ही आच्छादित रहेंगे व समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित नहीं होंगे।

(30) छात्रों का प्रवेश वरीयता क्रम में आरक्षण नियम आदि के अनुसार सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदर्शित व महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा प्रवेशित होगा, यदि दो अभ्यर्थियों का मेरिट इन्डेक्स समान होगा, तो इनके अर्हता कक्षा के अंक (अधिक) के आधार पर वह भी समान हो तो, अर्हता कक्षा से पूर्व (यथा स्नातक प्रवेश हेतु 10वीं बोर्ड) के अंक देखे जायेंगे, यदि वह भी समान हो, तो जन्मतिथि (अधिक आयु) के आधार पर व अन्तत: A, B, C, D प्रारम्भिक नामाक्षर के आधार पर वरीयता क्रम निर्धारित किया जायेगा।

(31) अमान्य बोर्ड व विश्वविद्यालय की जानकारी यू0जी0सी0/आई0जी0एन0ओ0यू0 तथा एन0आई0ओ0एस0 की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

विशेष:- विश्वविद्यालय के शेष प्रवेश नियमों की जानकारी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की अधिकृत Website: www.ccsuweb.in तथा ccsuniversity.ac.in पद उपलब्ध हैं। प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी प्रवेश फार्म भरने से पहले नियमों को अच्छी तरह से पढ़कर समझ लें। यदि विवरणिका में वि0वि0 के नियमों के छपने में कोई त्रुटि पायी जाती है तो विश्वविद्यालय की website पर दर्शाये गये नियम ही मान्य होंगे।

ELIGIBILITY CRITERIA

1.	**B.A. (Arts Group) :** Hindi, English, Economics, History, Political Science, Sanskrit, Geography, Physical Education.	10+2 with 33% Marks. Two-third theory marks and one-third practical marks of candidates with vocational course will be considered in non practical courses. **नोट : इण्टरमीडिएट परीक्षा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में बी.कॉम, बी0ए0 अथवा बी0एस-सी0 में प्रवेश के लिए मेरिट में लिखित परीक्षा के दो तिहाई प्राप्तांक तथा प्रयोगात्मक विषयों के एक तिहाई प्राप्तांक जोड़े जायेंगे।**

2.	**B.Sc. (Maths Group):** PCM	10+2 with 33% Marks (Eligibility - PCM/Physics, Chemistry, Mathematics)

नोट :-

1. **प्रवेश प्रक्रिया में यदि अधिक दिन लगते हैं अथवा किसी अन्य कारणवश 180 दिन में से कुछ शिक्षण दिवस कम होते हैं तो उतने शिक्षण दिवसों की पूर्ति अतिरिक्त कक्षायें चलाकर की जायेगी।**
2. **शोक सभायें विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों में केवल कार्यरत शिक्षक/कर्मचारी के निधन पर अपराह्न 3.30 बजे तक होगी। अपराह्न 3.30 बजे तक कक्षायें यथावत चलेंगी।**
3. **प्रवेश नियमावली में उद्धृत नियमों का पालन पूर्व की भांति ही लागू किया जाये।**
4. **परीक्षा फार्म जमा करने व परीक्षा कार्यक्रम की अन्तिम तिथि को यदि किसी कारणवश अवकाश घोषित हो जाता है, तो उक्त दशा में अगला दिन कार्य दिवस स्वीकार किया जायेगा।**
5. **जिन महाविद्यालयों की सम्बद्धता दिनांक 30-06-2021 को समाप्त हो रही है, उनके सम्बद्धता के विस्तारण की कार्यवाही शीघ्र अतिशीघ्र करा दी जाये। यदि किसी कारणवश किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता का विस्तारण निर्धारित समय में नहीं हो पाता है, तो ऐसे महाविद्यालयों/संस्थानों के छात्र/छात्राओं की परीक्षायें कराया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।**
6. **विश्वविद्यालय का परीक्षाफल तथा अन्य कार्यक्रम विश्वविद्यालय वेबसाईट www.ccsuniversity.ac.in पर उपलब्ध कराया जायेगा।**
7. **बैक पेपर में अर्ह विद्यार्थियों को अगली कक्षा में औपबन्धिक रूप से प्रवेश दिया जायेगा। यदि बैक पेपर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित हो जाते हैं तो उनके परीक्षा फार्म पद्नुसार निचली कक्षा में स्वत: परिवर्तित कर दिये जायेंगे।**
8. **स्नातक कक्षाओं में आन्तरिक मूल्यांकन एवं परीक्षा सम्बन्धी वे समस्त नियम-परिनियम लागू होंगे जो विश्वविद्यालयों द्वारा सेमेस्टर प्रणाली के लिए स्वीकृत किये गये हैं।**

कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

राष्ट्र ीय शिक्षा नीति-2020 के अनुक्र में प्रवेश सम्बन्धी दिशा-निर्देश

National Education Policy 2020 : Guidlines for Admission

उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की अनुशंसा के अनुरूप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021-22 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 1065/सत्तर-3-2021-16(26)/2011 दिनांक 20 अप्रैल, 201 एवं पत्र संख्या 1567/सत्तर-3-2021-16(26/2011 टी0सी0 लखनऊ 13 जुलाई, 2021 अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 25-06-2021 को जारी परिपत्र तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी अन्य शासकीय निर्देशों के आधार पर चौधरी चरण सिंह, विश्वविद्यालय, मेरठ के माननीय कुलपति जी द्वारा गठित टास्क फोर्स समिति द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिये स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश सम्बन्धी तथा अन्य सम्बन्धित विषयगत बिन्दुओं के सन्दर्भ में प्रथम/मानक दिशा-निर्देश (गाइडलाइन) प्रस्तावित किये जा रहे हैं। सामयिक आवश्यकता तथा शासकीय निर्देशों के अनुसार भविष्य में इस गाइडलाइन का संशोधित प्रारूप भी जारी किया जा सकता है अथवा किसी मामले में अलग से अधिसूचना जारी की जा सकती है।

1. पाठ्यक्रम/कार्यक्रम लागू करने की समय-सारणी:-
   * यह व्यवस्था तीन विषय वाले बी0ए0, बी0एस-सी0 एवं बी0कॉम0 पर सत्र 2021-22 में प्रवेशित छात्रों पर लागू होगी। अन्य सभी पाठ्यक्रमों में शासन के निर्देशों के आने पर सत्र 2022-23 से लागू होंगी।
2. प्रवेश की व्यवस्था:-
   * सत्र 2021-22 में विद्यार्थी को स्नातक में प्रवेश के समय सर्वप्रथम विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा। विज्ञान संकाय का चयन करने पर अभ्यर्थी को पुन: निर्देशित अर्हतानुसार अपने वर्ग (Bio/ Maths@Stats. etc.) का चुनाव करना होगा, जिसका आवंटन मेरिट, सम्बन्धित महाविद्यालय में उपलब्ध सीट संख्या एवं संसाधनों पर निर्भर करेगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा, जिसमें वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक अध्ययन कर सकेगा।
   * पूर्व व्यवस्था की तरह विद्यार्थी को कुल तीन मुख्य विषयों का अध्ययन करना होगा, जिसमें दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय के होंगे तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से ले सकता है, जिसका आवंटन मेरिट, सम्बन्धित महाविद्यालय में उपलब्ध सीट संख्या एवं संसाधनों पर निर्भर होगा। इस व्यवस्था के लिए संकायों का निर्धारण शासनादेश जून 15, 2021 (http://uphed.gov.in/Council/GOneeti.aspx) के अनुसार होगा।
   * विद्यार्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों/शिक्षकों/संसाधनों/नियमों के आलोक में द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।
   * छात्र को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।
   * मुख्य तीन विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी को एक गौण (माइनर इलैक्टिव) पेपर का अध्ययन करना होगा। इस पेपर का चुनाव भी वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से कर सकता है। इसके लिये उसे किसी पूर्व पात्रता (Pre-requisite) की आवश्यकता नहीं होगी। स्नातक के विद्यार्थी को प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में मात्र दो गौण प्रश्न-पत्रों (माइनर इलेक्टिव पेपर) का अध्ययन करना होगा।
   * बहु-विषयकता (multidisciplinarity) सुनिश्चित करने के लिये स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव पेपर सभी छात्रों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिये गये तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा।
   * **तीसरे मुख्य ;मेजरद्ध विषय तथा गौण चयनित पेपर ;माइनर इलेक्टिव पेपरद्ध का चयन छात्र को इस प्रकार करना होगा कि इनमें से कोई एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय (other faculty) से हो।**
   * कोई विद्यार्थी एक माइनर इलेक्टिव पेपर स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टर में से तथा दूसरा माइनर इलेक्टिव पेपर द्वितीय वर्ष के तृतीय अथवा चतुर्थ सेमेस्टर में ले सकता है। अर्थात् विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।
   * विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर इलेक्टिव पेपर आवंटित किया जायेगा।
   * प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट (3x4=12) क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम का एक रोजगारपरक /कौशल विकास पाठ्यक्रम (Vocational Skill Development Courses) पूर्ण करना होगा।

* स्नातक स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छः सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह-पाठ्यक्रम (Co-curricular) करना अनिवार्य होगा।
* इन सभी सह-पाठ्यक्रमों को 40 प्रतिशत अंकों के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होगी, परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 (C.G.P.A.) की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इन पेपर्स की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा Multiple Choice Questions पर आधारित होगी।

3. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रियाः-
   * विद्यार्थी को एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास तथा दो वर्ष (चार सेमेस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी। विद्यार्थी को निर्गत सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा पर उसके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार-परक (Vocational) प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।
   * विद्यार्थी को तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) पूर्ण करने पर ही डिग्री प्राप्त होगी।
   * विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार पुनः प्रवेश ले सकेगा।

4. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारणः-
   * सैद्धान्तिक (Theory) के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा प्रति सप्ताह का शिक्षण होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 13-15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।
   * प्रेक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 26-30 घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा।
   * विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टिफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर दो वर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर तीन वर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चार वर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी0जी0डी0आर0 ले सकता है।
   * एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उनके क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिये, यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता है, तो उसके क्रेडिट उपयोग कर लिये माने जायेंगे। अर्थात् उसके ये क्रेडिट डिप्लोमा अथवा डिग्री के लिये उपयोग नहीं किये जा सकेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बादडिप्लोमा लेना चाहता है तो वह या तो अपना मूल सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (surrender) कर 46 क्रेडिट खाते में रि-क्रेडिट करेगा अथवा नये 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा, जिसके आधार पर वह द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी। यदि विद्यार्थी अध्ययन करता है तथा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है, तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।
   * यदि कोई योग्य छात्र (Fast Learner) कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेता है तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर उसे अन्तराल की सुविधा होगी परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह विषय परिवर्तन की स्थिति में वह किसी भी कार्य को करने के लिये स्वतन्त्र होगा।
   * द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टिफिकेट की श्रेणी में आयेंगे न कि डिप्लोमा की, क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।
   * तीन वर्षों में विद्यार्थी जिस संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी और विश्वविद्यालय में नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।
   * यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत, यथा 112 का 60 अर्थात् 67 क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे बैचलर ऑ लिबरल एजूकेशन (B.L.E.) की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय की पूर्व पात्रता (Pre-requisite) की आवश्यकता नहीं होगी। सामान्यतः इस श्रेणी में कला संकाय के ऐसे विषय आयेंगे जिनमें प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य नहीं हैं।
   * यदि कोई योग्य छात्र सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट पुनः जमा (Re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह रि-क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपभोग कर पुनः सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

5. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारणः-
   * क्रेडिट वेलीडेशन के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।
   * परीक्षा देने के लिये पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
   * छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षाओं में उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी।

6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सन्दर्भ में विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली सुविधायें:-

* विद्यार्थी यू0जी0सी0/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पोर्टल/संस्थानों से 20 प्रतिशत तक क्रेडिट ऑनलाइन कोर्स/पेपर के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। विश्वविद्यालयीन व्यवस्था के दृष्टिगत ऑनलाइन पेपर चयनित करने की यह सुविधा माइनर/इलेक्टिव पेपर्स के लिये छूट पर ही लागू होगी। यू0जी0सी0 के नियमों के अनुसार ऑनलाइन कोर्स के क्रेडिट सभी महाविद्यालय/विश्वविद्यालयें परिसर को जोड़ने होंगे।
* विद्यार्थी की आवश्श्यकता के अनुसार निकट के अन्य शिक्षण संस्थान से किसी विशेष विषय के अध्ययन की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य की जा सकती है। इस सुविधा का लाभ विद्यार्थियों को प्रदान करने के लिये सम्बन्धित महाविद्यालय पारम्परिक रूप से अनुबन्ध हस्ताक्षरित करते हुए उसकी एक प्रति सूचनार्थ विश्वविद्यालय को भेजेंगे।

7. परीक्षा व्यवस्था:-

* सभी विषयों के प्रश्न-पत्र 100 अंकों के होंगे, जिसको क्रेडिट एवं फार्मूला के अनुसार परसेन्टाइल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा।
* सभी विषयों की परीक्षा 100 में से 25 अंकों के लिए सतत् आन्तरिक मूल्यांकन एवं 75 अंकों के लिए बाह्य मूल्यांकन के आधार पर ही सम्पन्न की जायेगी।
* 25 अंकों के आन्तरिक मूल्यांकन पाठ्यक्रमों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार होगा।
* असाइनमेंट तथा क्लास टेस्ट की उत्तर पुस्तिकाओं को महाविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के कम से कम दो माह आगे तक सुरक्षित रखा जायेगा।
* सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को-कुरीकुलर विषय की परीक्षा बहु-विकल्पीय आधार पर होगी।

8. उपरोक्त शासनादेश के निर्देशानुक्रम में उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विज्ञान, वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषायें तथा कृषि संकायों पर लागू होंगी। तत्क्रम में निम्न बिन्दुओं पर भी प्रमुखता से ध्यान अपेक्षित है:-

* स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिये 46 संचित क्रेडिट के सापेक्ष तीन प्रमुख विषय, एक माइनर इलेक्टिव पेपर, दो सह-पाठ्यक्रम एवं दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर **Certificate in faculty** प्रदान किया जा सकता है।
* द्वितीय वर्ष 92 क्रेडिट संचित के सापेक्ष द्वितीय वर्ष में तीन प्रमुख विषय, एक माइनर इलेक्टिव पेपर, दो सह-पाठ्यक्रम एवं दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर **Diploma in Faculty** प्रदान किया जायेगा।
* तृतीय वर्ष तक 132 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में दो प्रमुख विषय, दो सह-पाठ्यक्रम एवं दो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर **Bachelor in Faculty** की उपाधि प्रदान की जायेगी।
* प्रवेश, निकास एवं पुन: प्रवेश व्यवस्था के सम्बन्ध में गाइडलाइन विश्वविद्यालय द्वारा ही जारी की जायेगी, महाविद्यालय अपने स्तर से इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं लेंगे।
* स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम दो वर्षों में कौशल-विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम का अध्ययन अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षर किया गया है, जिसके आलोक में विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को समन्वय स्थापित करना होगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा समयानुसार जारी किये जायेंगे।

9. अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम **(Co-Curricular)** :

स्नातक स्तर पर अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रमों **(Co-Curricular)** के अध्ययन-अध्यापन का क्रम सेमेस्टर के अनुसार निम्नवत् होगा-

* प्रथम सेमेस्टर : खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता **(Food, Nutrition and Hygiene)**
* द्वितीय सेमेस्टर : प्राथममिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य **(First Aid and Health)**
* तृतीय सेमेस्टर : मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन **(Human Values and Environmental Studies)**
* चतुर्थ सेमेस्टर : शारीरिक शिक्षा एवं योग **(Physical Education and Yoga)**
* पंचम सेमेस्टर : विश्लेषणातमक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस **(Analytic Ability and Digital Awareness)**
* षष्टम सेमेस्टर : संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास **(Commnication Skill and Personality Development)**
* स्नातक स्तर के अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रमों **(Co-Curricular)** के अध्ययन-अध्यापन के लिये शैक्षिक संसाधनों की व्यवस्था महाविद्यालय द्वारा की जायेगी।

प्रवेश प्रक्रिया

1. (i) Filling the Online Registration Form for Students on **Universy website admission.ccsuweb.in**
   (ii) Students need to fill the Online Registration Forms to register their applications to the University.
   (iii) The students need to fill the Online Registration Form by giving the required details as instructions given on University website.
   (iv) After submitting the applications online on website admission.ccsuweb.in, the students will receive the unique registration ID through SMS/E-mail on their registered Mobile/E-mail ID from the University.
   (v) Once the online registration form has been completed, the students need to take the printout of the application.
2. विद्यार्थी को महाविद्यालय में प्रवेश हेतु विवरणिका (Prospectus) क्रय करनी होगी।
3. प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र को पूर्ण करते हुए हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट की अंकतालिकाओं की प्रमाणित छायाप्रति, चरित्र प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, स्थानान्तरण (टी.सी.) की छायाप्रति, अधिभार सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति (यदि कोई हो) तथा On Line Registration की छायाप्रति संलग्न करते हुए महाविद्यालय में पंजीकरण कराना होगा।
4. महाविद्यालय द्वारा मेरिट के आधार पर पंजीकरण स्वीकृत किये जायेंगे। मेरिट में जिस विद्यार्थी का नाम होगा वह अपनी क्रमांक सं0 (Serial No.) एवं On Line Registration सं0 पंवेश संयोजक को बतायेगा। जिससे उसका प्रवेश स्वीकृत हो सके। विद्यार्थी प्रवेश के समय अपने साथ 5 टिकट साइज फोटो व सभी मूल अंकतालिकायें, चरित्र प्रमाण-पत्र, टी0सी0 मूल रूप में अवश्यक प्रस्तुत करें अन्यथा किसी भी दशा में प्रवेश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। निर्धारित शुल्क कॉलेज कार्यालय में जमा कराना होगा।
5. आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियाँ स्पष्ट रूप से अंकित करें तथा स्वप्रमाणित करने हेतु संलग्नकों पर प्रवेशार्थी के हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
6. आवेदन-पत्र तथा परिचय-पत्र पर फोटो अच्छी तरह गोंद से भली-भांति चिपकायें। पिन से लगाये गये फोटो स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इलेक्ट्रोस्टेट फोटो का प्रयोग भी स्वीकार्य नहीं होगा।
7. प्रवेशार्थी प्रवेश शुल्क प्रवेशित तिथि को ही अवश्य जमा करायें। उक्त तिथि के बाद प्रवेशार्थी का प्रवेश स्वत: निरस्त हो जायेगा।
8. यदि प्रवेशार्थी द्वारा लगाये गये प्रमाण-पत्र व फोटो असत्य साबित होते हैं तो न केवल आपका प्रवेश किना किसी कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा वरन् उसके विरुद्ध धोखाधड़ी करने के आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) भी दर्ज करा दी जायेगी।
9. **सभी प्रवेश अस्थायी हैं। प्राचार्य का अधिकार सर्वदा सुरक्षित है कि वह कभी भी, किसी का भी प्रवेश, किसी भी समय बिना कारण निरस्त कर सकते हैं।**
10. शारीरिक रूप से विकलांग छात्र स्नातक स्तर के तीनों वर्षों की शारीरिक शिक्षा की परीक्षा नहीं देंगे।
11. बैक पेपर में अर्ह विद्यार्थियों को अगली कक्षा में औपबन्धिक रूप से प्रवेश दिया जायेगा। यदि बैक पेपर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित हो जाते हैं तो उनके परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय द्वारा तद्नुसार निचली कक्षा में स्वत: परिवर्तित कर दिये जायेंगे।
12. परीक्षा फार्म प्रवेश समाप्त होने के बाद भरे जाते हैं। परीक्षा फार्म के साथ ही विश्वविद्यालय नामांकन फार्म भी प्रथम वर्ष के समस्त विद्यार्थियों को भरने होंगे। अन्य कक्षाओं में गत परीक्षा किसी अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को भी विश्वविद्यालय नामांकन फार्म भरना अनिवार्य है। ऐसे छात्रों को पूर्व विश्वविद्यालय का प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) परीक्षा फार्म के साथ मूल रूप में संलग्न करना होगा।
13. टाइम टेबिल के सम्बन्ध में महाविद्यालय छात्रों की समय की प्राथमिकता को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।
14. एक बार विषय संयोजन का चुनाव होने के बाद किसी भी दशा में विषय परिवर्तन नहीं होगा।
15. कला वर्ग में विषय का चुनाव प्रवेश समिति के समक्ष होगा। चयनित विषय में परिवर्तन नहीं होगा।
16. स्नातक स्तर पर विषय संयोजन उपलब्ध शिक्षकों के आधार पर वि0वि0 की वेबसाइट पर प्रदर्शित सीटों के सापेक्ष ही दिया जायेगा।

NEP 2020 के अन्तर्गत बी.ए. एवं बी.एस-सी. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु उपलब्ध पाठ्यक्रम एवं विषय

कला संकाय : बी.ए. (त्रिवर्षीय) : **हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, भूगोल एवं शारीरिक शिक्षा (भूगोल, शारीरिक शिक्षा व राजनीतिशास्त्र प्रयोगात्मक विषय हैं)।**

विज्ञान संकाय : बी.एस-सी. (त्रिवर्षीय) : **रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं गणित। (तीनों विषय प्रयोगात्मक हैं।)**

महाविद्यालय में शोध (Research) हेतु सुविधायें उपलब्ध हैं। यहाँ पर अंग्रेजी, शारीरिक शिक्षा व रसायन विज्ञान में शोध सुविधा तथा प्राणी विज्ञान में अनुसंधान पर्यवेक्षण उपलब्ध है। रसायन विज्ञान में डॉ0 प्रमोद कुमार के पर्यवेक्षण में डी.एस.टी. से अनुदानित शोध परियोजना चल रही है।

नोट : उपलब्ध गौण (Minor Elective) Paper एवं कौशल विकास (Skill Development) पाठ्यक्रमों की सूची प्रवेश के साथ उपलब्ध करायी जायेगी, co-curricular की सूची Prospectus में संलग्न है।

पाठ्येत्तर गतिविधियाँ एवं सुविधायें

पुस्तकालय एवं वाचनालय- पुस्तकालय शिक्षण संस्था का प्राण और उसकी महत्ता का प्रतिपादक होता है। महामना मालवीय महाविद्यालय का पुस्तकालय विभिन्न विषयों की उच्च स्तरीय एवं योग्य लेखकों की प्रतिष्ठित प्रकाशनों से प्रकाशित पुस्तकों से सुसज्जित है। यहाँ इस समय लगभग 25,000 से अधिक पुस्तकें एवं दुर्लभ ग्रंथ उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त छात्रों के लिए बुक बैंक की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे नियमानुसार छात्र पूरे सत्र के लिए पुस्तकें ले सकते हैं। वाचनालय में विभिन्न विषयों से सम्बन्धित शोध पत्रिकायें, सामान्य ज्ञान की पत्रिकायें तथा हिन्दी और अंग्रेजी के प्रमुख दैनिक समाचार-पत्र तथा रोजगार समाचार-पत्र उपलब्ध रहते हैं।

शुल्क-मुक्ति एवं छात्रवृत्तियाँ प्रतिभाशाली, अनुशासित एवं निर्धन छात्रों का नियमानुसार शुल्क मुक्ति एवं अनुमन्य छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। शिक्षकों और कार्यालय से सम्पर्क कर छात्र इनके लिए उचित समय पर आवेदन कर लाभान्वित हो सकते हैं।

राष्ट्र कैडिट कोर- छात्र में राष्ट्र-प्रेम और अनुशासन की भावना के विकास हेतु महाविद्यालय में एन.सी.सी. की सुविधा उपलब्ध है। अर्हता प्राप्त इच्छुक छात्र इसमें प्रवेश ले सकते हैं और सैनिक शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश के लिए एन.सी.सी. ऑफिसर डॉ0 सुनील धीमान से सम्पर्क करें।

राष्ट्र सेवा योजना- राष्ट्र के प्रति सेवा एवं समर्पण की भावना भरने के लिए महाविद्यालय में एन0एस0एस0 की दो इकाईयाँ कार्य कर रही हैं। प्रत्येक में 100 स्वयं सेवकों को प्रवेश मिलता है। सम-सामयिक राष्ट्रीय आवश्यकताओं की ओर छात्र-छात्राओं को उन्मुख करना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। दो कार्यक्रम अधिकारी इस कार्यक्रम का संचालन करते हैं। सत्र में 120 घंटे के समाज सेवा कार्यों के अतिरिक्त ग्रामीण अंचल में 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन कर 50-50 छात्र-छात्राओं को श्रमदान, मद्यनिषेध, वृक्षारोपण, सामाजिक जागरूकता, प्रौढ़ शिक्षा जैसे कार्यों में योगदान देकर समाज सेवा का अवसर दिया जाता है।

कैरियर मार्गदर्शन सैल- पिछले वर्ष से डॉ. प्रमोद कुमार (विभागाध्यक्ष, रसायन विज्ञान) के निर्देशन में प्रारम्भ की गयी है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को कैरियर चुनने में सुझाव देना तथा विभिन्न प्रकार के रोजगार की सूचना देना है।

छात्र कल्याण परिषद्- छात्रों के समाज कल्याण और उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु एक प्राध्यापक डीन, छात्र कल्याण के रूप में कार्य करते हैं। प्राचार्य, वरिष्ठ प्राध्यापक, चीफ-प्रॉक्टर, प्राचार्य द्वारा मनोनीत प्राध्यापक और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रत्येक संकाय से एक-एक छात्र/छात्रा से इस परिषद् का गठन किया जाता है।

अनुशासन- महाविद्यालय में उत्तम, स्वच्छ शैक्षणिक वातावरण बनाये रखने के लिए एक अनुशासन समिति कार्य करती है। विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना बनी रहे, वे नियमों और व्यवस्थाओं का पालन करते रहें, इसका दायित्व अनुशासन समिति का है। यह समिति प्राचार्य, चीफ प्रॉक्टर एवं अन्य नामित शिक्षकों की देख-रेख में उत्तम आचरण एवं नेतृत्व गुणों के आधार पर चुने हुए छात्र/छात्रा अनुशासकों के सहयोग से विद्यार्थियों को उत्तरदायी एवं अनुशासित जीवन की प्रेरणा प्रदान करती है। अनुशासनहीनता अथवा व्यवस्थाओं का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अनुशासन समिति अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दोषी को दण्डित भी करती है। वर्तमान में डॉ. शैलेन्द्र महाविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर हैं।

सांस्कृतिक कार्यकलाप- सांस्कृतिक कार्यकलाप समिति के तत्वावधान में छात्र/छात्राओं के अभिव्यक्ति कौशल में वृद्धि हेतु वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ, निबन्ध प्रतियोगिताएँ, विचार गोष्ठियाँ, भाषण प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं तथा समय-समय पर विभिन्न विभागों में अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर विद्यार्थियों की विशेष ज्ञान-वृद्धि के लिए व्याख्यान मालाओं का आयोजन किया जाता है। सामान्य जागरूकता वृद्धि हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन विगत वर्षों में प्रशंसनीय रहा है। विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाता है।

शारीरिक शिक्षा- छात्रों के शारीरिक विकास हेतु महाविद्यालय में विभिन्न खेल सुविधायें उपलब्ध हैं। खेल अधीक्षक, खेल में रुचि रखने वाले अन्य शिक्षकों एवं क्रीड़ा क्षेत्र में उपलब्धि के आधार पर चुने हुए छात्रों से क्रीड़ा-कलाप समिति का गठन किया जाता है और विद्यार्थियों को दिशा-निर्देश एवं प्रोत्साहन दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष महाविद्यालय के खिलाड़ी विद्यार्थी विश्वविद्यालय था प्रांतीय स्तर पर खेलने के लिए चुने जाते हैं और कई खेलों में सफलता प्राप्त कर महाविद्यालय के गौरव में अभिवृद्धि करते हैं।

पर्यावरण संरक्षण क्लब- महाविद्यालय में पर्यावरण संरक्षण हेतु यह क्लब कार्य करता है। इसके अन्तर्गत वृक्षारोपण, वन-संरक्षण तथा अन्य आवश्यक तरीकों से शुद्ध-स्वच्छ वातावरण, पर्यावरण संतुलन की दिशा में प्राचार्य द्वारा गठित समिति की देखरेख में विभिन्न कार्यकलापों, गोष्ठियों का आयोजन समय-समय पर होता है।

परिचय-पत्र- छात्रों को प्रवेश के समय परिचय-पत्र कॉलेज कार्यालय से उपलब्ध कराया जाता है। निर्धारित स्थान पर अपना फोटो चिपका कर सभी प्रविष्टियाँ पूरी कर चीफ प्रॉक्टर द्वारा उसे प्रमाणित कराना होता है तथा कॉलेज में प्रतिदिन उसे साथ रखना अनिवार्य है।

कॉलेज पत्रिका- पत्रिका महाविद्यालय की प्रगति एवं विभिन्न क्षेत्रों में हो रही गतिविधियों का दर्पण है। छात्रों के मौलिक चिन्तन एवं अभिव्यक्ति कौशल के विकास हेतु महाविद्यालय में पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। विद्यार्थियों की मौलिक रचनाओं के अतिरिक्त प्राध्यापकों एवं महाविद्यालय से सम्बन्धित अन्य विद्वानों की छात्रोपयोगी रचनाओं को भी समुचित स्थान दिया जाता है। प्राचार्य महोदय के संरक्षण में पत्रिका समिति का गठन किया जाता है जिससे प्राध्यापकों के साथ-साथ सम्पादक मण्डल में उच्च शैक्षणिक उपलब्धि तथा रचनात्मक लेखन में अभिरुचि के आधार पर छात्रों को भी सम्मिलित किया जाता है। डॉ. शिवेन्द्र मिश्रा (विभागाध्यक्ष, हिन्दी) वर्तमान में पत्रिका के मुख्य सम्पादक हैं।

महामना मालवीय महाविद्यालय

खेकड़ा, जिला बागपत (उ0प्र0)

''सा विद्या या विमुक्तये''

फार्म सं0 : .....

प्रवेश रसीद सं0 : .....

दिनांक : .....

कक्षा : .....

ह0 शुल्क लिपिक : .....

प्रवेश आवेदन-पत्र 2022-23

कक्षा जिसमें प्रवेश लेना है।
बी.ए./बी.एस-सी. I/II/III

गत वर्ष विश्वविद्यालय रोल नं0/नामांकन सं0 :..... छात्र पंजिका सं0 : .....

टिक करें	I	II	III	IV	V	VI
CLASS : ..... Semester						

Insructions :
1. Read the admission related information carefully before filling the admission form.
2. Use the black/blue pen for filling the form.
3. Tick the relevant boxes. Write within boxes and the details such as name, subject, class, address etc. in capital letters.
4. Keep record of University password. Retain photocopy of Registration & admission form.

University Registration No.

Password

Date of Registration / /

Index for College Office Use :

अर्हता परीक्षा प्रतिशत : .....

Weightage : .....

Deduction : .....

Index : .....

Reservation Catagory/Catagory of Student :

संकाय जिसमें पंजीकृत है : BA **(कला)** B.Sc. **(विज्ञान)**

(क) **आवंटित विषय : मुख्य विषय** (Major Subjects) : 1. .....
2. .....
3. .....

(ख) **गौण विषय** (Minor Elective Subjects) : 4. (a) **विषय का नाम :**
(b) **सेमेस्टर जिसमें लेना है-** Sem-1 Sem-2
(टिक करें)

(ग) **रोजगारपरक कौशल विकास पाठ्यक्रम का नाम/**
Name of Vocational/Skill Development : 5. .....

(घ) **अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम** (Co-Curricular) : 6. .....

1. **पूरा नाम (छात्रा अपने नाम के पूर्व कुमारी/श्रीमती अवश्य लिखें) :**
   (अ) (हिन्दी में) .....
   (ब) (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) .....
2. **पिता का नाम** ..... **माता का नाम** .....
   अस्थाई पता ..... **दूरभाष नं.** .....
   स्थाई पता ..... **दूरभाष नं.** .....
   व्यवसाय ..... **मासिक आय** .....
3. **अभिभावक का नाम, पता व विद्यार्थी से सम्बन्ध** .....
4. **धर्म** ..... **जाति** ..... **राष्ट्रीयता** .....
5. (अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।)
6. **जन्मतिथि** ..... (हाईस्कूल के प्रमाण-पत्र के अनुसार) 7. **राज्य में निवास करने की अवधि** .....
8. **चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय की नामांकन संख्या (यदि हो)** .....
9. **विगत विश्वविद्यालय जहां अध्ययन किया गया** .....

पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो चिपकाएं, पिन से न लगाएं

परीक्षा		वर्ष	बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय	संस्था का नाम/ व्यक्तिगत	विषय	अनुक्रमांक	प्राप्तांक/ पूर्णांक	श्रेणी एवं प्रतिशत
हाईस्कूल								
इण्टरमीडिएट								
	I							
बी.ए. बी.एस-सी.	II							
	III							
अन्य								

10. Weightage Claimed :

(a) Participation in Sports :	(b) Spouse/Son/Daughter of	(f) Any other Weightage
National Level ☐	Permanent Employee of C.C.S.	information :
State Level ☐	University or its affiliated	1. .....
Interuniversity ☐	Colleges : ☐	2. .....
or	(c) N.C.C./N.S.S. ☐	3. .....
Training Certificate from Sports ☐	(d) Scouts/Guides ☐	4. .....
Authority of India (SAI)	(e) Rovers/Rangers ☐	

विद्यार्थी/पिता/संरक्षक की घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रार्थना–पत्र की सभी प्रविष्टियाँ एवं सूचनाएँ सही हैं और यदि कुछ भी गलत पाया गया तो मुझे प्रवेश के अयोग्य ठहराया जा सकता है। मैंने स्वयं विद्यालय द्वारा पारित प्रवेश सम्बन्धी नियमों एवं आवश्यक निर्देशों को भली–भांति पढ़ लिया है। मैं सब पाठ्यक्रमों में अपनी उपस्थिति की जानकारी स्वयं करूँगा/करूँगी एवं कक्षा में नियमित रहूँगा/रहूँगी। मैं किसी भी अवांछनीय समाजद्रोही कार्यकलाप में लिप्त न होऊँगा/होऊँगी। उपक्रम भंग करने की दशा में मुझे विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया निर्णय/दण्ड स्वीकार्य होगा। मैं कॉलेज के प्रवृत्त नियमानुसार मांगी गयी शुल्क राशि देना स्वीकार करता/करती हूँ तथा कॉलेज अन्दर एवं बाहर विद्यार्थियों के आचरण एवं व्यवहार सम्बन्धी नियमों एवं निर्देशों का पालन करने का वचन देता/देती हूँ। कॉलेज प्राचार्य/प्रशासन द्वारा जो भी समय अध्ययन के लिए निश्चित किया जायेगा, वह मुझे स्वीकार होगा। मैं जानता/जानती हूँ कि मेरा प्रवेश पूर्णतः अस्थायी होगा। और कभी भी निरस्त किया जा सकता है। प्रवेश निरन्त होने पर मेरा शुल्क वापसी का अधिकार नहीं होगा।

मैंने भी सभी सूचनाएँ पढ़ ली हैं। मैं अपने प्रतिपाल्य की पूर्ण जिम्मेदारी लेता/लेती हूँ।

विशेष : प्रवेश लेने के उपरान्त विषय एवं सेक्शन परिवर्तन के लिए प्रार्थना नहीं करूँगा/करूँगी तथा अपना वाहन महाविद्यालय द्वारा निर्धारित वाहन स्टैण्ड पर उचित शुल्क देकर खड़ा करूँगा/करूँगी।

दिनांक ..... पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर ..... प्रार्थी के हस्ताक्षर .....

Note :-

1. No other person is allowed to sign on behalf of the applicant and parent's/guardian.
2. The applicant is required to enclose self attested photocopy of every relevant information related to academic record, age, reserved category, weightage, etc.
3. The applicant is also required to enclose any identity proof such as photocopy of I-Card/Exam Admit Card of last examination passed/D.L./Pan Card/Bank Account Pass Book with photo.

For Admission Committee / Official Purpose :

1. Merit ..... Category : GEN/OBC/SC/ST/EWS .....
2. Weightage/s .....
3. Remarks, if any .....
   .....

Signature of Clerk — Signature of Admission Incharge

Order of Principal — Signature of Principal

चरित्र विवरण –पत्र 2021–22

1. विद्यार्थी का नाम .....
2. पिता का नाम .....
3. माता का नाम .....
4. कक्षा व वर्ग .....
5. विषय : 1. ..... 2. ..... 3. .....
6. जाति .....
7. स्थायी पता .....
   .....
8. टेलीफोन नं./मोबाइल नं. .....
9. गत संस्था का नाम .....

हस्ताक्षर मुख्य अनुशासन अधिकारी

घोषणा

मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि कॉलेज के सभी नियमों का पालन करूँगा/करूँगी और पूर्णतः अनुशासन में रहूँगा/रहूँगी। मैं यह भी स्वीकार करता/करती हूँ कि नियमों का पालन न करने पर महाविद्यालय में मेरा प्रवेश कभी भी निरस्त किया जा सकता है। मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि मैं प्रत्येक विषय में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी करूँगा/करूँगी। 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण न होने पर मुझे परीक्षा में बैठने से रोका जा सकेगा। मुझे यह ज्ञात है कि रैगिंग में किसी भी प्रकार की संलिप्तता दण्डनीय कानूनी अपराध है। मैं वचन देता/देती हूँ कि ऐसा कोई आचरण नहीं करूँगा/करूँगी।

दिनांक ..... विद्यार्थी के हस्ताक्षर .....

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि कु0/श्री/श्रीमती..... ..... कक्षा ..... मुरा पुत्र/पुत्री/आश्रित है और महाविद्यालय सम्बन्धी उसकी सारी गतिविधियों का उत्तरदायित्व मेरा होगा। इसके अतिरिक्त यदि वह 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी करने में असमर्थ रहता/रहती है तो उसे परीक्षा में बैठने से रोका जा सकेगा। मैं यह भी आश्वस्त करता हूँ कि मेरा पाल्य रैगिंग जैसे आपराधित कृत्य में किसी भी प्रकार संलिप्त नहीं होगा।

दिनांक ..... अभिभावक के हस्ताक्षर .....

हस्ताक्षर प्राचार्य .....

कॉलेज शुल्क विवरण

क्र.सं.	कार्य हेतु लिए जाने वाली धनराशि के नाम	धनराशि
1.	शिक्षण शुल्क	132.00
2.	छात्र/छात्रा पंजिका	5.00
3.	पुनः प्रवेश शुल्क	3.00
4.	विज्ञान प्रयोगशाला शुल्क	480.00
5.	विलम्ब शुल्क	–
6.	भूगोल प्रयोगशाला शुल्क	240.00
7.	मंहगाई शुल्क	42.00
8.	वाचनालय शुल्क	12.00
9.	बिजली पंखा शुल्क	300.00
10.	पंजीकरण शुल्क	100.00
11.	सांस्कृतिक शुल्क	9.00
12.	शारीरिक शिक्षा शुल्क	60.00
13.	क्रीड़ा शुल्क	55.00
14.	इन्टरनेट/वेबसाइट शुल्क	50.00
15.	आन्तरिक परीक्षा शुल्क	100.00
16.	पुस्तकालय शुल्क	36.00
17.	अंकतालिका शुल्क	35.00
18.	परिचय-पत्र शुल्क	30.00
19.	छात्र कल्याण	5.00
20.	पत्रिका शुल्क	100.00
21.	छात्र संघ	10.00
22.	छात्र सहायता	5.00
23.	पुस्तकालय जमानत	400.00
24.	विज्ञान जमानत	200.00
25.	भूगोल जमानत	200.00
26.	चिकित्सा शुल्क	12.00
27.	विकास शुल्क	36.00
28.	कैरियर काउंसलिंग	50.00
29.	रावर्स-रेन्जर्स शुल्क	24.00

नोट :

1. प्रयोगशाला जमानत (पुस्तकालय, विज्ञान, भूगोल) बी.एस., बी.एस-सी. प्रथम वर्ष जमा करायी जाती है।
2. बी.ए. व बी.एस-सी. में प्रयोगशाला विषय का ग्युल्क . 240/- प्रति विषय देय होगा।
3. एन.ई.पी. लागू होने से गणित व राजनीति विज्ञान भी प्रयोगात्मक विषय होंगे। अतः इनका शुल्क रु. 240.00 प्रति एक विषय देय होगा।
4. एन.ई.पी. के अन्तर्गत कौशल विकास के लिए प्रति सेमेस्टर (केवल पहले चार) रु. 250.00 अतिरिक्त देय होगा।